


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(258) ग्राविवि/ग्रुप-5/पीएमएवाई-जी/जीकेएन/प्रशा. अनु.समिति/2015-16 जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017

—:: बैठक कार्यवाही विवरण ::—


विभागीय प्रशासनिक अनुमोदन समिति की बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 24.10.2017 को आहुत की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में पंचायती राज विभाग से प्राप्त प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) घटक से मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन मद से तकनीकी अनुमोदन समिति बैठक दिनांक 09.10.2017 के द्वारा अभिशंषित 100 लीटर डस्टबीन हेतु PVC moulded bins के Specification/ मानक पर बैठक में चर्चा कर पूर्व में जारी 100 लीटर MS Sheet के डस्टबीन के साथ PVC moulded bins के तकनीकी अनुमोदन समिति द्वारा अभिशंषित Specification/मानक को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा उपापन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही RTPP Act 2012 एवं RTPP नियम, 2013 तथा प्रचलित वित्तीय नियमों/परिपत्रों आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए की जावेगी।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंचायती राजस्थान, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंचायती राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायती राज।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/महात्मा गांधी नरेगा।
- 6 निजी सचिव, आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
- 7 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
- 8 अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस)/महात्मा गाँधी नरेगा।
- 9 अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
- 10 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
- 11 वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा योजना, ग्रामीण विकास विभाग।
- 12 वित्तीय सलाहकार, पंचायतीराज विभाग।
- 13 वित्तीय सलाहकार, ज.ग्र.वि. एवं भू-संरक्षण विभाग।
- 14 उप निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण।
- 15 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)